बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों, सम्बद्धता प्राप्त डिग्री एवं इण्टर महाविद्यालयों को वित्त सहित करते हुए ऐसे संस्थानों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छात्रों के परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया, परन्तु इन शिक्षण संस्थानों की परिसम्पत्तियों एवं आय के विभिन्न आंतरिक स्रोतों की किसी प्रकार की जानकारी सरकार के पास नहीं होती है, यदि ऐसे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आन्तरिक स्रोतों से कुल आय की जानकारी सरकार के पास हो तो इन संस्थानों को घाटा- अनुदानित संस्थान घोषित करने में सहुलियत होगी, साथ ही प्रबंध समितियों के मनमाना खर्च पर भी अंकुश लग सकेगा।

अत: मैं सदन में सरकार से इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की परिसम्पत्तियों एवं आय के आन्तरिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर कार्यरत कर्मियों को वेतनमान के अनुसार घाटा अनुदान दिए जाने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय कुमार सिंह, स. वि. प. एवं
ह./- केदारनाथ पाण्डेय, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 90/2017 - 402 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 20.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 24.06.2014 की बैठक में भवन निर्माण विभाग के विद्युत संवर्ग के समायोजन का निर्णय लिया गया था। विभाग ने मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत बल के अतिरिक्त आठ सहायक विद्युत अभियंता एवं दो कनीय विद्युत अभियंता की सेवा समायोजित कर लिया। सहायक विद्युत अभियंता के कार्यरत बल के बदले 13 एवं कनीय विद्युत अभियंता के कार्यरत बल के बदले 121 का समायोजन का आदेश ऊर्जा विभाग के पत्रांक- 2899 दिनांक- 03.06.2014 द्वारा निर्गत किया गया है।

अत: अतिरिक्त समायोजित सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करने तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार से संदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 82/2017 - 401 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं(आवश्यक कार्रवाई)हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 20.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

7/3/17

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वर्ष 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 12/विविध- 1003/2010 सा.प्रा. 6616, दिनांक- 08.07.2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सहायतार्थ समाहरणालय में संविदा के आधार पर पत्रांक- 13690, दिनांक- 22.12.2009 द्वारा निर्गत निदेश के आधार पर अपने कम्प्यूटर के साथ कार्यपालक सहायक की नियुक्ति (नियोजन के आधार पर) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन कर सेवा ली जा रही है। ज्ञातव्य हो कि कार्यपालक सहायक के समरूप ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) में कार्यरत संविदा पर नियुक्त कर्मियों को विभागीय पत्रांक- स्था.- (पुनर्गठन) 211/2011-1167, दिनांक- 23.06.2016 (संलग्न) द्वारा उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है। चूंकि दोनों संवर्गों में नियुक्त मानदेय पर कर्मचारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 2401, दिनांक- 18.07.2007 के तहत ही की गई है। कार्यपालक सहायक मुख्यत: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यों की भली-भांति मूर्त रूप देने में लगे हैं तथा बिहार सरकार की इस योजना को पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने में इन सभी कार्यपालक सहायकों का बहुत अहम योगदान रहा है।

अत: बिहार सरकार में नियोजन के आधार पर सभी विभागों एवं समाहरणालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के कार्य पद्धति को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख के परिमाप निदेशालय) में कार्यरत संविदा पर नियुक्त कर्मियों की तरह ही इनके मानदेय की राशि को 20,000/- (बीस हजार) रुपए प्रतिमाह करने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य मांग करता हूं।

ह./- सूरज नंदन प्रसाद, स.वि.प..
ह./- सोने लाल मेहता, स.वि.प. एवं
ह./- विजय कुमार मिश्र, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 85/2017 - 403 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 20.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

श्री राजेन्द्र राम, नियोजित शिक्षक आत्मज श्री जगन्नाथ राम, ग्राम- पोस्ट- आदमपुर, थाना- रघुनाथपुर, जिला- सिवान, गया दास कबीर उच्च विद्यालय रसीदचक, मठिया अंचल हुसेनगंज, जिला- सिवान में अंग्रेजी के शिक्षक थे। 6 फरवरी, 2017 को जब छुट्टी होने के बाद संध्या 4 बजे के बाद वे घर जा रहे थे, अपराधियों ने अमवारी के निकट उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में रघुनाथपुर थाना में प्राथमिकी संख्या- 19/17, दिनांक- 07.02.2017 दर्ज कराया गया है। किन्तु पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। राजेन्द्र राम की पत्नी को न तो चार लाख रुपये का अनुदान ही अब तक मिल पाया है और न अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की कोई प्रक्रिया ही शुरू हुई है।

अत: मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से राजेन्द्र राम के हत्यारे को गिरफ्तार करने और उन्हें विहित चार लाख रुपये का अनुदान भुगतान करने और उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 89/2017 - 436 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 20.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अभी राज्य में पियर्सन, एडुकौम्प, आई.सी.टी. जैसी संस्थाएं विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं ऑपरेटर मुहैया कराती हैं। वर्षों बीत चुके हैं लेकिन इन संस्थाओं द्वारा सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इन दिनों शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र को भरने, आनलाईन पंजीयन, पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति का भुगतान, आनलाईन डाटा का आदान-प्रदान तथा विभाग को सूचनाओं को प्रेषित करने की जवाबदेही विद्यालयों पर दी गई है। लेकिन सभी विद्यालय इसके लिए सक्षम नहीं है। विद्यालय के शिक्षक उक्त सभी कार्य विद्यालय से बाहर साइबर कैफे में कराते हैं जिससे विद्यालय की गोपनीयता खत्म हो रही है और समय की भी बर्बादी हो रही है साथ में विद्यालय और छात्र-छात्राओं पर अनावश्यक व्यय भार भी बढ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा नियुक्त कार्यपालक सहायक के पैनल से कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाए तो विद्यालय सभी संसाधनों से सम्पन्न होगा और शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बिना विलंब के सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी और इससे विद्यालय को अतिरिक्त व्यय भार से मुक्ति मिलेगी।

अत: मैं सरकार से बिहार प्रशासानिक सुधार मिशन के पैनल से कार्यपालक सहायक की नियुक्ति सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय कुमार सिंह, स. वि. प. एवं
ह./- केदारनाथ पाण्डेय, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 83/2017 - 402 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 20.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।